

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(13)2023 / गो.प्र. / प्रमुवसं-07443 /
निमित्त,

दिनांक :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक ट्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का (अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।

विषय :-मंत्रालयिक संवर्ग के लोक सेवकों की गत वर्षों की बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) भिजवाने बाबत।

प्रसंग: - इस कार्यालय का पत्रांक एफ 15 (14)2023 / गो.प्र. / प्रमुवसं-07443 / 1903-1985 / सी दिनांक 09.02.2024।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के लोक सेवकों की गत वर्षों की बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) दिनांक 19.02.2024 एवं 20.02.2024 को इस कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे।

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि प्रतिवेदित लोक सेवक द्वारा समय पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) पूर्ति कर निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने के उपरांत भी प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) में निर्धारित समय पर टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है फलस्वरूप समीक्षक /स्वीकारकर्ता अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) में संबंधित अधिकारी की टिप्पणी नहीं हो पाती है।

कुछ लोक सेवकों की गत वर्षों की बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) अभी भी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यालयों द्वारा अत्यन्त विलम्ब से (5-5 वर्ष के पश्चात) लोक सेवकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक व खेदजनक है।

विभाग में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्यरत मंत्रालयिक लोक सेवकों की गत कई वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ति करवाकर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं कराये गए हैं, जिसके अभाव में इनकी पदोन्नति नहीं हो पाती है एवं कई बार पदोन्नति से वंचित भी होना पड़ता है।

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 8 पर अंकित कार्यालय स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की लोक सेवकों कि बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ऑफलाइन/ऑनलाइन) निम्नलिखित निर्देशों की पालन करते हुए दिनांक 06.05.2024 से 21.05.2024 को इस कार्यालय में आयोजित बैठक में संलग्न प्रपत्र एवं प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित विज्ञ कार्मिक के साथ भिजवाने का कष्ट करें, डाक के माध्यम से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भिजवाये।

RajKaj Ref

6648071

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

1. विभाग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों को वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज के माध्यम से दिनांक 30.04.2024 तक ऑन लाईन भरवाया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर दिनांक 31.05.2024 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
2. लोक सेवकों की सत्र 2021-22 की बकाया APAR ऑनलाईन ही स्वीकार्य है, ऑफलाईन APAR स्वीकार्य नहीं की जाएं। सम्बंधित प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को APAR ऑनलाईन प्रेषित करने के लिए पाबन्द करें। वर्ष 2021-22 की पूर्व की APAR पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ही ऑफलाईन मूल APAR ही प्रेषित करें।
3. यदि किसी लोक सेवक की वांछित बकाया APAR में प्रतिकूल प्रविष्ट अंकित है तो संबंधित लोक सेवक की सूचना अग्रेषित पत्र में अंकन करते हुए मय APAR पृथक से भिजवाई जानी सुनिश्चित करें। APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में लोक सेवक को सूचित करने वाला पत्र, लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावदेन (यदि कोई हो तो) भी प्रेषित करें।
4. अपूर्ण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इस कार्यालय को नहीं भिजवाएं, इससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब और दोहराव की स्थिति होती है। समस्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का आप अपने स्वयं के स्तर पर पूर्ण परीक्षण कर, अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को पूर्ण करवाकर ही इस कार्यालय को भिजवायें।
5. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी प्रकार की कटिंग हो तो कटिंग को अटेस्ट किया जाए एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर फ्लूईड लगा हुआ नहीं होना चाहिए।
6. मोहर स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए तथा पदनाम के ऊपर अधिकारी नाम अवश्य अंकित करें।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक, कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को पदवार तैयार कर इस कार्यालय को निर्धारित समयावधि में भिजवाए जाने हेतु सतत प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण की सुनिश्चित की जाएं। उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी कार्यालय वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सीधे इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।

यदि वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में आगामी डी.पी.सी. पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित लोकसेवक/संबंधित अधिकारी की होगी।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए.अरुण प्रसाद)

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 16.04.2024

कमांक : एफ 15(13)2023/गो.प्र./प्रमुवसं-07443/4168-4248/C

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी लोकसेवकों की बकाया APAR एवं वांछित सूचना उपरोक्त दिए गये निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में संबंधित मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करावें।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6648071

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साईट www.forest.rajasthan.gov.in

कार्यालय का नाम

1- प्रपत्र

इस कार्यालय में संधारित होने वाली लोक सेवकों (मंत्रालयिक संवर्ग- कनिष्ठ सहायक से उच्चतर पद लोक सेवक, निजी सचिव संवर्ग के समस्त लोक सेवक) की बकाया APAR निम्न प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें -

क्र. सं.	नाम कार्यालय	नाम लोक सेवक	पिता का नाम	पद	APAR अवधि	APAR में अंकित टिप्पणी (हॉ/नहीं)			वि.वि.
						प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट :- कॉलम संख्या 7 से 9 में केवल हॉ/नहीं अंकित करना है।

2 - प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में पदस्थापित वांछित लोक सेवकों (मंत्रालयिक संवर्ग- कनिष्ठ सहायक से उच्चतर पद लोक सेवक, निजी सचिव संवर्ग के समस्त लोक सेवक) की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) वर्ष 2022-23 तक की संधारण हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर में प्रेषित की जा चुकी है।

3 - प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में पदस्थापित समस्त लोक सेवकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) वर्ष 2022-23 तक की प्रस्तुत/भर दी गई है एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा टिप्पणी अंकित करने के उपरांत निर्धारित कार्यालय में संधारित की जा रही है।

4- प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में पदस्थापित लोक सेवक की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) में प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में संबंधित लोक सेवक को सूचित कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में पदस्थापित किसी भी लोक सेवक की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित नहीं है।

क्र.सं.	नाम लोक सेवक	पद	APAR में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि की अवधि	प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में लोक सेवक को सूचित करने की दिनांक	लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की दिनांक	अभ्यावेदन का निस्तारण	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8

कॉलम संख्या 5 से 7 से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी

नोट :- उपरोक्त क्र. सं. 1 से 4 के प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र समस्त कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref

6648071

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email id dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in

वेब साइट www.forest.rajasthan.gov.in

Document certified by Kotapatu Chinnapan
Albert Arun Prasad <kcaarun11@gmail.com>

Digitally Signed by K. C. A. ARUN

Designation : Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date :16-04-2024 02:43:10